न्यायालय-माननीय राजस्व मण्डल म॰प्र॰ग्वालियर

प्र॰क्र॰ -1/09 पुनर्विलोकन

निग॰ 162-I/09

श्री ओ॰ पी॰ सिंह एडवोकेट द्वारा आज दि॰ 10-2-09 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म॰ प्र॰ ग्वालियर 10/2/09

महेन्द्र सिंह पुत्र महाराजा सिंह किरार
निवासी ग्राम सालौन (बी) तहसील
भाण्डेर जिला दतिया ----आवेदक॰

बनाम

खुमान सिंह ठाकुर पुत्र रामकृष्ण किरार
निवासी ग्राम सालौन(बी) तहसील
भाण्डेर जिला दतिया
हाल निवासी -
अतिरिक्त मुख्य अभियंता सतपुडा थर्मल
पावर म॰प्र॰विद्युत मण्डल सारनी जिला
बैतूल म॰प्र॰ ----अनावेदक॰

ओ॰ पी॰ सिंह
एडवोकेट
हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा-51 म॰प्र॰भू राजस्व संहिता-1959 विरुद्ध आदेश श्री एस॰सी॰वर्धन प्रशा-सकीय सदस्य राजस्व मण्डल म॰प्र॰ग्वालियर जो कि प्र॰क्र॰ 622-II/06 निगरानी में दिनांक 23/1॰09 को पारित किया गया ।

माननीय,

आवेदक का पुनर्विलोकन आवेदन-पत्र निम्न प्रकार पेश है:-

प्रकरण के तथ्य:

संक्षेप में इस प्रकार है कि,प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे न॰728 रकबा 0॰28 हैक्टर व सर्वे न॰1365 रकबा 0॰05 सर्वे न॰1432 रकबा 0॰20 है0 कुल किता-3 रकबा 0॰55 है0 के सम्बन्ध में अनावेदक ने रा 7/99-2000 अ-63 में पारित आदेश दिनांक 31॰8॰2000 के खिलाफ एक अपील प्र॰क्र॰ -

---2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 162–एक/2009 जिला–दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
01–4–19	आवेदक की ओर से श्री डी0 एस0 चौहान उपस्थित नहीं। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये। रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत मेमो के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। 2– यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 622–दो/2006 में पारित आदेश दिनांक 23.01.09 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण कमांक रिव्यु 162–एक/2009 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3–आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 162–एक/2009 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 23.01.09 से किया जा चुका है। 4–प्रकरण में प्रकरण कमांक रिव्यु 162–एक/2009 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में रिव्यु के जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस	

समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य